जनपद-संतकबीरनगर** **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनाँक 20.06.2025

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे *"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप 02 अभियुक्तगण को मारपीट के मामलें में न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा व 3000 रुपये का अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे **"ऑपरेशन कनविक्शन"** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनाँक 20.06.2025 को ***मा0न्यायालय सी0जे0 (एस0डी0) ए0सी0जे0एम0 जनपद संतकबीरनगर*** द्वारा 02 अभियुक्तगण को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा व 3000 रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विवरणः-

एन0सी0आर0 न0 142/2002 धारा 323,504 भा0द0वि थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्तगण 01.शिवपति पत्नी राधेश्याम 02. अनीता पुत्री राधेश्याम निवासी कड़जवनिया थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर को धारा 323,504 भा0द0वि के अपराध में न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा व 3000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 15-15 दिन का साधारण कारावास का अतिरिक्त कारावास से भुगतना होगा।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 03 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना धनघटा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 194 वाहनों से 2,09,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 20.06.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 194 वाहनों से 2,09,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप गोवध निवारण अधिनियम के तहत अभियुक्ता को जेल में बितायी गयी अवधि व कुल 5000रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल के संयुक्त प्रयास के फलस्वरुप आज दिनांक 20.06.2025 को न्यायालय – **सीजे(एसडी)/एसीजेएम संतकबीरनगर** द्वारा थाना बखिरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 733/2005 धारा 5/8 गोवध निवारण अधिनियम के मामलें में अभियुक्ता परवीन पत्नी हबीबुल्लाह निवासी अंसार टोला थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को जुर्म स्विकारोक्ति के आधार पर धारा 5/8 गोवध निवारण अधिनियम के मामले में जेल में बितायी गई अवधि व 5000 रुपये के जुर्माने से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 माह का साधारण कारावास भुगतना होगा।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद *श्री अजय सिंह* के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 396/2025 धारा 115(2), 352, 351(3),333,65(1) बीएनएस व 5L/6 पाक्सो एक्ट थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर के मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता सुरज पुत्र बुद्धिराम निवासी बुधाखुर्द थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को आज दिनाँक 20.06.2025 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनांक 12.05.2025 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पर वादिनी की नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में सुसंगत धाराओं की बढोत्तरी कर महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 20.06.2025 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री हरिकेश भारती, का0 अलोक पाल।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए दहेज मृत्यु कारित करने के मामलें में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अजय सिंह*** के पर्यवेक्षण प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद ***श्री पंकज कुमार पाण्डेय*** के नेतृत्व में में गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 250/2025 धारा 85/80(2) व 3/4 डी0पी0 एक्ट मे वांछित अभियुक्त रामसिंह गौड़ पुत्र रामनरेश गौड़ निवासी परसपुर थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को आज दिनाँक 20.06.2025 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त द्वारा वादी की बहन को दहेज के लिए काफी समय से प्रताड़ित व मारपीट कर रहे थे दहेज की मांग पूरी न करने पर प्रतिवादी द्वारा दिनांक 25.03.2025 को हत्या कर दिया गया था, जिस संबन्ध में वादी द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। महिला संबन्धी अपराध गंभीरता से लेते हुए थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा हुए उक्त अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीमे लगायी गयी थी आज दिनांक 20.05.2025 को उक्त आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री राजकुमार पटेल, हे0का0 रामभवन गुप्ता।